

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/100-2000 वि०-टी॥2॥ दिनांक चण्डीगढ़:-27-4-2000

आर०आर० स्न० डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल कौखी जिला रिवाड़ी को केन्द्रीय मध्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से वर्षी स्तर तक की सम्बन्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली विभाग की विद्यार्थी की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो कन्व बनें वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागिय विद्यार्थी की पालना ना करने पर यह अनापत्ती प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

पी०के० महापात्रा
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।

पुष्टीकरण क्रमांक सम

दिनांक चण्डीगढ़:- 28.4.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी रिवाड़ी को उनके पत्र क्रमांक बी-टाटा/99/एन.ओ.सी/338/2812 दिनांक 1/2/2000 के सम्पर्क में ।
- 2 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092 .
- 3 मुख्याध्यापक आर.आर. स्न. डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल कौखी, रिवाड़ी।

अधीक्षक विद्यालय-7
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।